



महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

दिनांक: 30.05.2017

पत्रांक: २०वि०/सम्बद्धता/२०१७/
सेवा में,

1611-20

प्रबन्धक/सचिव
विवेकानन्द महाविद्यालय,
दरबाड़ा, बिजनौर।

विषय: विवेकानन्द महाविद्यालय, दरबाड़ा, बिजनौर को स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकायान्तर्गत एम०ए०- भूगोल, अंग्रेजी, विज्ञान संकायान्तर्गत एम०एस०सी०-गणित तथा वाणिज्य संकायान्तर्गत एम०काम० पाठ्यक्रमों/विषयों में अग्रेतर सम्बद्धता की अनुमति के संबंध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम २०१४ (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १४ सन् २०१४) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ की धारा ३७ (२) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पूर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया गया है तथा सम्बद्धता का अधिकार विश्वविद्यालय को प्राप्त हो गया है। मूल अधिनियम की धारा ३७ में विहित प्राविधानों के आलोक में तथा शासनादेश सं. सम्ब-११४५/सत्तर-२-२०१४-१६(२५८)/२०१३ दिनांक ०१.०८.२०१४ के अनुपालन में पूर्व संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रम तथा नवीन महाविद्यालयों के सम्बद्धता प्रस्तावों पर विचार करने हेतु सम्बद्धता समिति की बैठक दिनांक ३०.०५.२०१७ को आहूत की गयी। सम्बद्धता समिति द्वारा की गयी संस्तुति के आलोक में संस्था विवेकानन्द महाविद्यालय, दरबाड़ा, बिजनौर को स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकायान्तर्गत एम०ए०- भूगोल, अंग्रेजी, विज्ञान संकायान्तर्गत एम०एस०सी०-गणित तथा वाणिज्य संकायान्तर्गत एम०काम० पाठ्यक्रमों/विषयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत दिनांक ०१.०७.२०१७ से निम्नलिखित शर्तों के अधीन अग्रेतर सम्बद्धता प्रदान की जाती है:-

१. महाविद्यालय द्वारा उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश २००३ द्वारा मूल अधिनियम १९७३ की धारा ३७(२) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा। मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के संबंध में निर्गत शासनादेश सं० ५२२/सत्तर-२-२०१३-२(६५०)/२०१२ दिनांक ३० अप्रैल, २०१३ का अनुपालन महाविद्यालय शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने के साथ ही सुनिश्चित किया जायेगा।
२. यदि महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित प्रावधानों/उपबन्धों तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ के प्रावधानों के अन्तर्गत महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
३. संस्थान/महाविद्यालय सशर्त सम्बद्धता/समबद्धता आदेश में निम्नलिखित इंगित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें पूरी कर रहा है।
४. महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रबन्ध तंत्र द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित अभिलेखों के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि किसी स्तर पर पत्र आता है कि संबंधित अभिलेख/सूचना कूटरचित अथवा असत्य थी एवं ऐसा कोई तथ्य छिपाया गया हो जिससे कि महाविद्यालय को सम्बद्धता नहीं दी जा सकती थी तो प्रदत्त सम्बद्धता निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व महाविद्यालय प्रबन्धक का होगा।

भवदीय

डॉ०(एस०एल० मोरी)
कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाय एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

०१. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
०२. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
०३. वित्त अधिकारी, एम०जे०पी०रू०वि०, बरेली।
०४. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली।
०५. निजी सचिव, कुलपति।
०६. अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
०७. श्री रविन्द्र गौतम, प्रोग्रामर को इस आशय से कि उक्त सूचना विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करें।
०८. परीक्षा नियंत्रक/उप कुलसचिव (गोपनीय) को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

डॉ०(एस०एल० मोरी)
कुलसचिव